

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-01वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थाई स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार निम्न लिखित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र० स०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अनिल कुमार सैनी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़।	जनहित में
2.	श्री दीप चन्द्र आर्य	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार।	जनहित में
3.	श्री करम सिंह राणा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ऊधमसिंह नगर।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी।	जनहित में
4.	श्री हर्षवर्धन भट्ट	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ऊधमसिंह नगर।	जनहित में
5.	श्री दीपाँकर घिल्डियाल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग।	जनहित में
6.	श्री विनोद उनियाल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून।	जनहित में

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो उनके इस कृत्य/ आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(2)

स्थानान्तरित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्धारित समय तक कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । स्थानान्तरित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों का माह जून 2018 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक ।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल ।

पत्रांक 1092 /स.क./स्था0-3/स्थाना0/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी ।
2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी ।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/बरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
4. अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-04,देहरादून ।
5. गार्ड फाइल ।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक ।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-01वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार निम्न लिखित प्रशासनिक अधिकारी को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में एतद्वारा स्थानांतरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गोबिन्द सिंह नेगी	निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली।	स्वयं के अनुरोध पर

उक्त स्थानान्तरित प्रशासनिक अधिकारी को विना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के तत्काल कार्यभार से मुक्त कर नई तैनाती स्थान पर योगदान कराना सुनिश्चित करें। स्थानांतरित प्रशासनिक अधिकारी का माह जून 2018 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के कारण उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

11
(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1093 /स.क./स्था0-3/स्थाना0/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी।
2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/बरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
4. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-04, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

उत्तराखण्ड, शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018 /20(1)/2017 देहरादून दिनांक 05 जनवरी 2018 द्वारा जारी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 तथा शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 कार्मिक अनुभाग-02 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/ 18/30 (13/2018 कार्मिक अनुभाग-02 दिनांक 25 मई 2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार समाज कल्याण विभाग के विभिन्न सवंगों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार निम्न लिखित प्रधान सहायक को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में एतद्वारा स्थानांतरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय	निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत्	जनहित

उक्त स्थानान्तरित प्रधान सहायक को विना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के तत्काल कार्यभार से मुक्त कर नई तैनाती स्थान पर योगदान कराना सुनिश्चित करें। स्थानांतरित प्रधान सहायक का माह जून 2018 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1094/स.क./स्था0-3/स्थाना0/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी।
2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/बरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
4. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-04, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-01वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थाई स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार निम्न लिखित वरिष्ठ सहायकों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में एतद्वारा स्थानांतरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मोहन सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा।	जनहित
2.	श्री अनुराग शाह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर।	जनहित

स्थानान्तरित कर्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कर्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो उनके इस कृत्य/ आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित वरिष्ठ सहायकों को निर्धारित समय तक कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कर्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानांतरित वरिष्ठ सहायकों का माह जून 2018 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1095/स.क./स्था0-3/स्थाना0/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
4. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-04, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-01वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थाई स्थानान्तरण स्थायी समिति की संस्तुति के अनुसार निम्न लिखित अनुदेशकों (आई.टी.आई.) को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र० स०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री चन्दन सिंह जीना	रा० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पाईन्स नैनीताल।	रा० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बागेश्वर।	जनहित
2.	श्री पंकज जोशी	रा० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बागेश्वर।	रा० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पाईन्स नैनीताल।	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो उनके इस कृत्य/ आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित अनुदेशकों को निर्धारित समय तक कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित अनुदेशकों का माह जून 2018 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक/1099/स.क./स्था०-3/स्थाना०/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष।
2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
4. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-04, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।